न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1 सहीराम पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 कंवर सिंह पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 दयाराम पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

4 मातादीन पुत्र गीधा जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

5 दीनाराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

6 मुकेश कुमार पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:——— अपीलांट

बनाम

1 रामकिशन पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 बलबीर पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी राजवाडा तह0 मुण्डावर

3 कालूराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4 भूपसिंह पुत्र अगरसिंह जाति अहीर निवासी भीखावारा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

5 पूर्ण पुत्र प्रभूराम जाति अहीर निवासी भीखावारा तहसील मुण्डावर

6 निरंजन पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी राजवाडा तह0 मुण्डावर

7 रोहिताश पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

8 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 23.8.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल गुप्ता

2. वकील रेस्पो0सं0 7 :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 4.10.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 217/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 23.8.2018, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सहीराम वगैरा ने तहत अदालत में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1096 रकबा 34 एयर, 1099 रकबा 1.25 हेक्टेयर, 1111 रकबा 62 एयर, 1112 रकबा 63 एयर, 1365/1114 रकबा 63 एयर, 1104 रकबा 1.01 हेक्टेयर, 1283/1106 रकबा 20 एयर वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की है । प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है । उक्त विवादित आराजी में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है, ना ही कोई रास्ता मौके पर है, परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 ला0 7, अप्रार्थी संख्या 8 से साजबाज होकर उक्त विवादित आराजी में से रास्ता कायम कराने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अप्रार्थी संख्या 01 ला0 7 ने अप्रार्थी संख्या 08 के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 8 ने हल्का पटवारी से उक्त खसरा नम्बरान में रास्ता होने बाबत रिपोर्ट तैयार करवा ली । अब अप्रार्थी संख्या 08 रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड में रास्ते का अंकन करने पर आमदा है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अप्रार्थीगण से जवाब लेकर उभयपक्ष को अंतरिम स्थगन आदेश पर सुनकर दिनांक 23.8.2018 को अंतरिम स्थगन आदेश देना उचित नहीं समझा । तहत अदालत के उक्त आदेश दिनांक 23.8.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने धारा 212 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि विवादित भूमि हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें कभी कोई रास्ता नहीं रहा है । अगर हमारी भूमि में से रास्ता कायम कर दिया गया तो हमको अपूर्णनीय क्षति होगी । अप्रार्थी संख्या 08 ने हमारी भूमि में से रास्ता कायम कराकर राजस्व रेंकार्ड में अमल कराने हेतु उपखंड अधिकारी के यहां विविध प्रार्थना पत्र संख्या 123/2016 उनवान सरकार बनाम रघुवीर पेश किया । उस प्रार्थना पत्र में हमको पक्षकार भी नहीं बनाया । उक्त प्रार्थना पत्र हमको बिना सुने ही स्वीकार कर हमारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश दिनांक 27.12.2016 को पारित कर दिया । हमारी खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 07 का कथन है कि साबिक रेकार्ड में रास्ता का अंकन है । रिकार्ड में रास्ता तहत अदालत द्वारा पूर्व में ही कायम किया जा चुका है । पंचायत द्वारा नरेगा के तहत उक्त रास्ता पर ग्रेवल सडक का निर्माण किया जा रहा है । मौका रिपोर्ट में भी रास्ता है । उक्त रास्ता पर सडक का निर्माण कराने हेतु राशि स्वीकृत हो चुकी है । ग्रेवल सडक निर्माण चालू है । जो जनहित कार्य है । उक्त निर्माण कार्य को स्टे करना न्याय हित में नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त हमारे समक्ष यह बिन्दू उभरकर आया है कि क्या विवादित भूमि में रास्ता कायम करने की डिक्री पूर्व में ही पारित हो चुकी थी अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हमने तहत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अदालत की पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया । जमावन्दी सम्वत 2072–75 में इस आशय का नोट अंकित है कि डिक्री दिनांक 17.4.2017 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1112 रकबा 62 एयर, 1112/1 रकबा 01 एयर, 1096 रकबा 34 एयर, 1096 रकबा 33 एयर, 1096/1 रकबा 01 एयर में गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया गया । उक्त डिक्री की पालना में इन्तकाल नम्बर 1388 स्वीकार होने का भी नोट अंकित है । इन सब तथ्यों से सिद्ध है कि विवादित भूमि में पूर्व में गैर मुमकिन रास्ते की डिक्री पारित हो चुकी है और ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक निर्माण भी चालू होना बताया गया है । ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण में सडक निर्माण पर स्थगन नहीं दिये जाने का आदेश विधिसम्मत पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का आदेश दिनांक 23.8.2018 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर